संख्या-1/1486 /बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13टी0सी0-1

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध) लखनऊ दिनांक: 07 जुलाई, 2014

विषय:- शासनादेशों को आनलाइन निर्गत किये जाने तथा इण्टरनेट पर अपलोड किये जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन के एजेण्डा वर्ष 2014-15 में निर्धारित सूत्र संख्या-202 के अन्तर्गत शासन के समस्त विभागों द्वारा शासनादेशों को आनलाइन निर्गत करने तथा इण्टरनेट पर अपलोड करने की कार्यवाही की जानी है। प्रथम चरण में दिनांक 01.09.2013 से 10 विभागों में, द्वितीय चरण में दिनांक 15.09.2013 से 26 अन्य विभागों में तथा तृतीय चरण में दिनांक 17.02.2014 से शासन के समस्त विभागों में शासनादेशों को आनलाइन निर्गत करने एवं इण्टरनेट पर अपलोड करने की योजना लागू की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-419/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13, दिनांक 18.02.2014 में यह स्पष्ट व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.03.2014 के उपरान्त निर्गत किसी भी शासनादेश को वैध तभी माना जाए जब वह वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर उपलब्ध हो। इसी क्रम में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1102/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13-टीसी-3,दिनांक 07.05.2014 के द्वारा वेबसाइट में अपलोड किये जाने वाले शासनादेशों व अन्य रूप पत्रों के प्रारूप में निर्गत आदेशों के विषय बिन्दुओं का निर्धारण भी कर दिया गया है। उक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-2 व 3 में वेबसाइट से आवश्यक रूप से निर्गत व अपलोड किये जाने वाले आदेशों

http://shasanadesh.up.nic.in

से संबंधित विषय बिन्दु तथा प्रस्तर-4 में वेबसाइट पर न डाले जाने वाले आदेशों के विषय बिन्दु निर्धारित किये गये हैं। आनलाइन निर्गत किये जाने वाले शासनादेश के विषय बिन्दु निर्धारण के संबंध में यदि किसी प्रकार के संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में इस संबंध में विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दिनांक 15.07.2014 के उपरान्त उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07.05.2014 के प्रस्तर-2 से आच्छादित सभी आदेश आनलाइन ही निर्गत किये जाएंगे, किसी भी दशा में विभागों द्वारा ऐसे शासनादेश मैनुअली निर्गत नहीं किये जाएंगे। यदि किसी आदेश की प्राप्ति विभागाध्यक्ष या जिलाधिकारी को तत्काल करानी है तो वेबसाइट से संबंधित शासनादेश की प्रिन्ट कॉपी निकालकर उसे शासनादेश दिनांक 07.05.2014 के प्रस्तर-4 में अंकित श्रेणी के अन्तर्गत अग्रेषण पत्र के द्वारा संबंधित को भेजा जाएगा।

3- आनलाइन शासनादेश निर्गत किये जाने की प्रक्रिया को अत्यन्त सरलीकृत किये जाने के बावजूद भी अधिकांश विभागों द्वारा शासनादेश वेबसाइट से जारी नहीं किये जा रहे हैं। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है तथा किसी भी दशा में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी देखा गया है कि कतिपय विभागों द्वारा इण्टरनेट पर ऐसे शासनादेश अपलोड किये गये हैं जिनमें कतिपय शब्दों में मात्राएं व अक्षर अंकित नहीं है, ऐसा कृतिदेव या अन्य किसी फान्ट में आलेख्य टंकित कर उसे यूनिकोड मंगल फान्ट में Convert करने के कारण हुआ है। अतः आनलाइन जारी करने वाले शासनादेशों को यूनिकोड मंगल फान्ट में ही कम्प्यूटर में टंकित किया जाए।

4- आनलाइन शासनादेश निर्गत किये जाने व इण्टरनेट पर अपलोड किये जाने की योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि अपने-अपने विभागों में इस योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण करते रहें तथा http://shasanadesh.up.nic.in का व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने हेतु अपने स्तर से यथावश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। यदि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता पायी जाए तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाए।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in